

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2014/माघ 3, 1935

No. 175]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2014/MAGHA 3, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का. आ. 219 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1774(अ) तारीख 19 जून 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 20 जून 2013, में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय रेलवे के डी.एफ.सी. के लिये बी.के.पी.एल. की मुगलसराय और कानपुर के बीच खंड शिफ्टिंग हेतु क्षेत्र आई (प्रस्थापित पाइपलाइन चैनेज 481.096 से 484.250 तक जिला इलाहाबाद) में पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27 अगस्त 2013 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

तहसील: सदर	जिला : इलाहाबाद	राज्य : उत्तर प्रदेश		
गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
अहमदपुर पावन	588 स	00	00	33
	587 मि.	00	05	36
	587 मि.	00	11	27
	584 मि.	00	07	70
	584 मि.	00	07	70
	584 मि.	00	07	70
	583	00	07	66
	581	00	05	65
	582	00	03	25
	578	00	00	80
	577	00	10	27
	576	00	09	48
	575	00	04	99
	574	00	11	28
	628	00	01	23
	571	00	23	90
	368	00	01	21
	369	00	07	06
	372	00	00	10
	370	00	12	19
	367	00	00	88
	366	00	08	05
	374	00	00	12

	365	00	10	37
	364	00	09	29
	341	00	19	08
	406	00	11	40
	408	00	19	56
	193	00	11	18
	192	00	19	51
	156ब	00	10	82
	156अ	00	06	15
	148ब	00	08	67
	146	00	09	83
	142क	00	07	94
	145	00	00	66
	143	00	11	39
	130	00	16	73
कुसवा	264 मि.	00	18	90
	265	00	01	61
	268ब	00	00	46
	268अ	00	03	56
	269अ	00	06	53
	270	00	18	20
	258ब	00	22	33
	245ब	00	22	21
	198 मि.	00	04	53
	199	00	01	47
	200	00	05	29
	175 मि.	00	05	40
	179	00	21	47
	74	00	06	78
	75	00	01	42
	79	00	00	10
	72	00	25	46
	70ब	00	00	12
	71	00	02	53
	83	00	18	65
	82अ	00	03	42

[सं.आर-25011/6/2013-ओ आर-1]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014

S.O. 219 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1774(E) dated the 19th June, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 20th June, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the "Shifting of Barauni-Kanpur pipeline between Mughalsarai and Kanpur for DFCCIL of Indian Railway" in Part-I (from Existing P/L Ch.- 481.096 to 484.250 in District-Allahabad) by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 27th August, 2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL: SADAR	DISTRICT: ALLAHABAD	STATE: UTTAR PRADESH		
Name of Village	Khasra No.	Area		
		Hectare	Are	Sq. mt.
1	2	3	4	5
AHMADPUR PAWAN	588 S	00	00	33
	587 Mi.	00	05	36
	587 Mi.	00	11	27
	584 Mi.	00	07	70
	584 Mi.	00	07	70
	584 Mi.	00	07	70
	583	00	07	66
	581	00	05	65
	582	00	03	25
	578	00	00	80
	577	00	10	27
	576	00	09	48

	575	00	04	99
	574	00	11	28
	628	00	01	23
	571	00	23	90
	368	00	01	21
	369	00	07	06
	372	00	00	10
	370	00	12	19
	367	00	00	88
	366	00	08	05
	374	00	00	12
	365	00	10	37
	364	00	09	29
	341	00	19	08
	406	00	11	40
	408	00	19	56
	193	00	11	18
	192	00	19	51
	156 B	00	10	82
	156 A	00	06	15
	148 B	00	08	67
	146	00	09	83
	142 K	00	07	94
	145	00	00	66
	143	00	11	39
	130	00	16	73
KUSWA	264 Mi.	00	18	90
	265	00	01	61
	268 B	00	00	46
	268 A	00	03	56
	269 A	00	06	53
	270	00	18	20
	258 B	00	22	33
	245 B	00	22	21
	198 Mi.	00	04	53
	199	00	01	47
	200	00	05	29
	175 Mi.	00	05	40
	179	00	21	47
	74	00	06	78
	75	00	01	42
	79	00	00	10
	72	00	25	46

70 B	00	00	12
71	00	02	53
83	00	18	65
82 A	00	03	42

[No. R-25011/6/2013-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

